3396
30/3/15

पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

23 MAR 2015

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
नै०स०प्र०सं० 282 तिथि 30-3-15

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),183–मो०एल०–1,500

अध्यक्षः आपके आग्रह को देख लेंगे।

श्रीमती सुनीता सिंहः समय सीमा तो बतला दें।

अध्यक्षः आग्रह में समय सीमा नहीं होता है,बैठिये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 293

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय (1) वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर थाना में एक जीप एवं दो मोटरसाईकिल उपलब्ध है, प्राणपुर थाने में भी एक जीप उपलब्ध है।

(2)उपर स्थिति स्पष्ट कर दी गयी हैं।

श्री विनोद कुमार सिहः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है दो मोटरसाईकिल एक जीप है दोनों थानों में और हम बताना चाह रहे हैं, आज से दो माह पहले थाना की एक गाड़ी हमारे साथ गयी हुई थी और वो थाना की गाड़ी धक्कामार गाड़ी थी। हम भी उतर कर थाने की गाड़ी को धक्का दिया, वाबजूद इसके थाना का गाड़ी चालू तक नहीं हुआ। अंत में हम गाड़ी को टोचन करके थाना की गाड़ी को निकाले हैं जबकि अध्यक्ष महोदय,आप सभी लोग जानते हैं कि अपराधियों के साथ फौरचुनर, ऐस्कार्पियो हाईस्पीड वाली गाड़ी है और थाने के अन्दर मात्र कमांडर गाड़ी वो धक्का मार गाड़ी है तो क्या सरकार फौरचुनर और ऐस्कार्पियों कै पैरलर चलने वाली पुलिस को गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है और सत से पड़े जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय,माननीय सदस्य ने बतलाया कि एक थाने की गाड़ी इन्होंने स्वयं देखा कि शायद वह स्टार्ट नहीं हो रही थी, धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा उसको हम दिखवा लेते हैं अगर मरम्मति की आवश्यकता होगी तो वो किया जायेगा और दूसरी बात..

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय,वो मेरा थाना जो है वो आजमनगर और प्राणपुर, दोनों थाना पश्चिम बंगाल के बोर्डर पर सीमांचल एरिया का थाना है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि धक्कामार गाड़ी को हम दिखवा लेंगे। हम यह चाहते है

कि हाईस्पीड वाली गाड़ी पुलिस को कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं वो बतलावें कि अक्टूबर के पहले होगा कि नहीं या गाड़ी को ठीक करवाने में ही अपना समय बिता देंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य,बिनोद जी आप अपने प्रश्न को देखिये क्या सरकार उक्त दोनों थानों में कबतक वाहन उपलब्ध कराने का तो वाहन की दिशा में कार्रवाई कर रही है सरकार।

श्री विनोद कुमार सिंहः वो तो ठीक कराने की बात कर रहे हैं,नई गाड़ी कबतक उपलब्ध करायेंगे दोनों थानों के अन्दर में ये बात स्पष्ट करें माननीय मंत्री जी।

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय,एक तो ये जो कह रहे हैं उस हिसाब से हम दिखवा लेंगे और नई गाड़ी की आवश्यकता होगी तो नई गाड़ी पर विचार करेंगे लेकिन महोदय प्रश्न तो दूसरा है न जो माननीय सदस्य चाह रहे है ये पुरानी गाड़ी है और इसको बदलवाना चाह रहे हैं तो प्रश्न में ही पूछते कि क्या उन थानों की गाड़ी पुरानी है उसको बदलवाना चाहते हैं,आपने तो प्रश्न में पूछ दिया कि वहां वाहन है ही नहीं और अभी कह रहे हैं कि पुराना वाहन है उसे बदलवा दीजिये। ये तो दोनों अलग-अलग बात है महोदय,इसलिए ये तो अलग से दिखवाना पड़ेगा।

श्री नन्दकिशोर यादव(नेता प्रतिपक्ष) महोदय,माननीय मंत्री महोदय को जो सरकारी गाड़ी आवंटित है मंत्री के नाते उसकी भी हालत खराब है मंत्री महोदय उस गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं दूसरी गाड़ी पर चढ़ते हैं क्या अपनी गाड़ी भी ठीक करवायेंगे आप?

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय,हमको तो जो गाड़ी जब वो साथ थे महोदय,हम लोग जब वो हमारे वगल में यहां बैठते थे महोदय उस समय जो गाड़ी पर हम चढ़ते थे आज भी उसी पर चढ़ते हैं।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कोई भी बात वगैर आसन के अनुमति के बोली गई प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी।

तारांकित प्रश्न सं0: 294 (डॉ0 इजहार अहमद)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक दरभंगा जिलान्तर्गत कुल 112 किशोर अपराध में संलिप्त पाए गए हैं ।

2. प्रमण्डलीय बाल सुधार गृह के आंकड़ों के अनुसार दरभंगा जिला के अलावा समस्तीपुर एवं मधुबनी के 363बच्चों को विधि-निरूद्ध गतिविधियों में निरूद्ध किया गया है ।

3. बाल सुधार गृह, दरभंगा में संप्रति 56बच्चे विभिन्न मामलों में आवासित हैं । इनमें हत्या में 13, डकैती में 03, चोरी में 16, अपहरण में 10, आर्म्स ऐक्ट में 05, दहेज उत्पीड़न में 01 एवं अन्य वाद में 08 किशोर शामिल हैं ।

4. राज्य के सभी 44जिलों में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष किशोर पुलिस इकाई कार्यरत है ।

डा0 इजहार अहमद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब के साथ-साघ आपसे बड़ा ही अहम् सवाल है और बाल किशोर अपराधी का मामला है । इसमें मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूं । मधुबनी और समस्तीपुर और दरभंगा, उसमें एक जिले से माननीय मंत्री महोदय भी वहां से हैं, इसमें दिखाया गया है, एक बताते हैं कि 112 ही किशोर के बारे में, लेकिन इसमें 2014 में 283किशोर अपराधी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं । दूसरा है कि 283 बच्चों को रिद्ध गतिविधियों में पकड़ा गया है, और 49बच्चे जिसमें 04चोरी में, 20अपहरण में, 05आर्म्स ऐक्ट में और 05 दहेज उत्पीड़न में पाया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी जो अभी किशोर अपराधियों के बारे में आप बता रहे हैं, इसपर कौन-सा बनाना है बाल सुधार गृह में या इसमें कोई ऐक्ट बनाकर संशोधन करके इसके सुधार के लिए क्या उपाए करना चाहती है सरकार ?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, हमने तो बताया । इन्होंने तो प्रश्न में खंड-3 में पूछा है कि क्या सुधार गृह में सम्प्रति 49बच्चे, हमने तो बताया कि उससे भी अधिक 56बच्चे हैं । हमने तो आपकी संख्या को और बढ़ाकर बताया है और जहां तक महोदय, इस संबंध में कार्रवाई की बात है, महोदय, हम बताना चाहते हैं कि हर जिले में किशोर अपराधियों के मामले को देखने के लिए एक अलग इसको एक जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, इसमें एक जस्टिस, न्यायिक पदाधिकारी होते हैं और दो समाज सेवी का बोर्ड, तीन आदमी का बोर्ड होता है, ये लोग उन मामले को विशेष रूप से उनकी किशोरावस्था को देखते हुए उस पर संवेदनशीलता से देखते हैं और इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के मामले में भले 363बच्चों का नाम या ये नामजद अभियुक्त हैं लेकिन बाकी लोगों को जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा उनके पेरेंट्स को, अभिभावक को छोड़ दिया जाता है ।